

FORM No. 1H  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

नाम उपरवादाधिकारी मुकाम कानाना  
 बनाम रुपाहिह आदि  
 मुकदमा नं. दावा 169/15 सन 169/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/10/15	<p>दावा <del>दरिद्रि रर</del> ही <del>परिवाहिकी</del> की                      जरिफ सभन लख कर परावली                      दिनांक 18/11/15 को पेश है</p>	
25-2-16	<p><del>कानाना का</del> <u>पितासीन अधिकारी</u>                      पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>25/2/16</u> को पेश है</p> <p>रीडर                      एसडीओओ/एसडीओएम० बयाना                      पितासीन अधिकारी <u>...</u> है                      पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>26-4-16</u> को पेश है</p>	
26-4-16	<p>रीडर                      एसडीओओ/एसडीओएम० बयाना                      पितासीन अधिकारी <u>...</u> है                      पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>21-7-16</u> को पेश है</p>	
27/6	<p>रीडर                      एसडीओओ/एसडीओएम० बयाना                      पितासीन अधिकारी <u>...</u> है                      पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक <u>14/10/16</u> को पेश है</p>	


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नप्यर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए


श्री गणेशाय नमः

7/25 पीठासीन अधिकारी..... है।  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/9 को पेश है।



रीडर  
ओ/एस.डी.एम.

11/9/25 पीठासीन अधिकारी..... है।  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/10 को पेश है।



रीडर  
ओ/एस.डी.एम.

9/10/25 पीठासीन अधिकारी..... है।  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/12/25 को पेश है।



रीडर  
ओ/एस.डी.एम.

18/12/25

प्रकरण का उक्त प्रकरण में एड० काठी  
व फ्रीडम अक्टो प्रकरण के सम्बन्ध में  
काए-2 कावाज लगवाई गई। कावाज उपरान्त  
भी कोई उपस्थित नहीं।

उक्त प्रकरण इसी स्तर पर  
अदालत हाजिरी व अदालत फीची में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फौजदारी अदालत होना  
नम्बर से कम हो। बाद-तकमील दायित्व  
दफतर हो।